सख्या - २८७ /71-आयुष-2-2016-03(बी)/ 2016

प्रेषक

श्याम प्रकाश नारायण

अनु सचिव

उ0प्र0 शासन

सेवा मे,

निदेशक,

होम्योपैथी,

उ0प्र0 लखनऊ

आयुष अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक: मार्च 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1073-वी0-82/15-16/1420 दिनांक 03-02-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होम्योपैथिक विभाग में विद्युत देयों के भुगतान हेतु रू0 1000000/- तथा कार्यालय फर्नीचर मद में भुगतान हेतु रू0 971000/-अर्थात कुल धनराशि रू0- 1971000/-(रू0 उन्नीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रू0 1971000/-(रू0 उन्नीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- उक्त् व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - आयोजनेत्तर -05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -102 होम्योपैथी-03 शिक्षा- 0301 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल के मानक मद 09 विद्युत देय एवं 12 कार्यालय फर्नीचर मद के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनेत्तर-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -102 होम्योपैथी-03 शिक्षा- 0301 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल के मानक मद 21 छात्रवृत्तियॉ एवं छात्रवेतन मद में उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई0-3-320/दस-2016 दिनॉक 04 मार्च 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव।

संख्या-२८७ (1)/71-आयुष-2-2016/तददिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/आजमगढ् ।

3 वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4 नियोजन अनुभाग-4

5 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2

6 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।